



कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्गठन किया जाता है, तो नीचे की समीक्षाएं एवं जांचें होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के दिशा में जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश को कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विगत शासन-संदेशों से अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईटीआई/पीसीआई/सीआई से जमावों का हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये 1050/मिशन/अभिव्यक्ति/शासन-संदेशों/निदेशों एवं विदेशक प्राथमिक शिक्षा, 2020, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये विनियम विनियमों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों पर्याप्तता को संभालें यदि पीसीआई नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन सब में समस्त उत्तरदायीय संस्था का होगा और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी कार्य किया जाता है तथा दायर होने से संस्था में न्यायपालना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों पर्याप्तता संभालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारीक वर्ष के लिए आवेगित प्रवेश परीक्षा हेतु परामर्शित करने होंगे कि पूर्ण पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हीं प्रवेश की (कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं देना की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं तथा संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, सत्य, सत्य-सत्य, उपलब्धता प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, फायदागत शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की साथ विगत होकर ही सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित होनी है कि संस्था में प्रशासनिक/सामाजिक कार्यवाही को पलायन जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अपिलेशन प्रक्रिया-पत्र, कार्यों, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के समतल में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन में किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(100 आदेशों में)  
सहित

पुंज-0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 192-2141

तद्विनिर्देशक: 18-09-2020

प्रतिनिधि-व्यवसाय/निदेशक, सचिव इन्स्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, 19/3, बंगलाहास मार्ग, प्रयागराज।

(100 आदेशों में)  
सहित

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
KUMH'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS  
ALAMNAGAR

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

संख्या:- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**आर्वालय माप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पारमैसी काउन्सिलर ओफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विपरीतमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उप्र संखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय ने सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता, पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गती पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उप्र संखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4423-RUCHI INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 19/3, DAYANAND MARG, PRAYAGRAJ

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	P.G.DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
3	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	30	30
4	HOME SCIENCE	30	30
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60
6	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	54	54

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए0आइ0पी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय कुलीन पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पारमैसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-

  
 DIRECTOR  
 ALL INDIA INSTITUTE OF CREATIVE ARTS  
 SAKHNAU



अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीम कुमार सोमरत)

सचिव

सूचना- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3638-4869

दिनांक: 09/06/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निर्देशक, RUCHI INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 1B/3, DAYANAND MARG, PRAYAGRAJ



(मुनीम कुमार सोमरत)

सचिव

  
PRINCIPAL  
RUCHI'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS  
ALLAHABAD 39

**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश राजनऊ।**

संख्या- प्राशिषपरिषद सम्बद्धता/2022/7817

संखनऊ: दिनांक- 30/08/2022

**:-कार्यालय,प्राश:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मेट्री कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संवदित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंतिम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4423-RUCHI'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 19/3, DAYANAND MARG, ALLAHABAD**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
		सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	PG DIPLOMA IN TEXTILE DESIGN	60	60
2	PG DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	30	30
3	PG DIPLOMA IN FASHION TECHNOLOGY	60	60
4	HOME SCIENCE MODERN OFFICE	30	30
5	MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60
6	FASHION DESIGNING & GARMENT TECHNOLOGY	54	54

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशुद्ध विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेट्री पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेट्री पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सन्दर्भ में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और

*(Signature)*

तदनुसार कार्यवाही किये जाने आवश्यक होगा। शीम निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अपेक्षित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सत्यतः सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ हेमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम की चर्चाएँ करने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने गये अधिलेख, भूमि, भवन, कर्नाधार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनत्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

एफ०आर०- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-  
प्रधानाचार्य/निदेशक, RUCHI'S INSTITUTE OF CREATIVE ARTS, 19/3, DAYANAND MARG, ALLAHABAD

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

